

बिहार आरक्षण कानून और 50% की सीमा का उल्लंघन

प्रलिस के लयि:

बिहार आरक्षण कानून और 50% सीमा का उल्लंघन, **सर्वोच न्यायालय (SC)**, अनुसूचति जात, अनुसूचति जात और अन्य पछिडा वर्ग, 77वाँ संवैधानकि संशोधन अधनियम, 1995 ।

मेंस के लयि:

बिहार आरक्षण कानून और 50% सीमा का उल्लंघन, वभिनिन क्षेत्रों में वकिस के लयि सरकारी नीतयिँ एवं हस्तकषेप तथा उनके योजना एवं कारयान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुददे ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में बिहार वधानसभा में बिहार आरक्षण कानून पारति कयिा गया, **जसिसे राज्य में नौकरयिँ और शकिसा में आरक्षण की मात्रा बढ़कर 75% हो गई**, जो **सर्वोच न्यायालय (SC)** द्वारा बरकरार रखे गए 50% नयिम का उल्लंघन है ।

- इसने भारत में आरक्षण की अनुमेय सीमा के बारे में बहस छेड़ दी है, वशिष रूप से मंडल आयोग मामले (इंदरा साहनी, 1992) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारति "50%" सीमा के मद्देनजर ।

बिहार आरक्षण कानून की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

- ये कानून है बिहार पदों और सेवाओं में रकितयिँ का आरक्षण (अनुसूचति जात, अनुसूचति जनजात और अन्य पछिडे वर्गों के लयि) संशोधन अधनियम 2023 तथा बिहार (शैकषकि संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण अधनियम, 2023 ।
- संशोधति अधनियम के तहत, दोनों मामलों में कुल 65% आरक्षण होगा, जसिमें अनुसूचति जात के लयि 20%, अनुसूचति जनजात के लयि 2%, पछिडा वर्ग के लयि 18% और अत्यंत पछिडा वर्ग के लयि 25% आरक्षण होगा ।
- इसके अलावा केंद्रीय कानून के तहत पहले से मंजूरी प्राप्ट EWS (आर्थकि रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों) को 10% आरक्षण मलित राहेगा ।

50% नयिम क्या है?

- **परचिय:**
 - 50% नयिम, जसि ऐतहिसकि रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, यह नरिदेश देता है कि भारत में नौकरयिँ या शकिसा के लयि आरक्षण कुल सीटों या पदों के 50% से अधिक नहीं होना चाहयि ।
 - प्रारंभ में वर्ष 1963 के एम.आर. बालाजी मामले में सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्थापति, आरक्षण को संवैधानकि ढाँचे के तहत एक "अपवाद" या "वशिष प्रावधान" माना जाता था, जसिसे उपलब्ध सीटों की अधिकितम 50% तक सीमति थी ।
 - हालाँकि आरक्षण की समझ वर्ष 1976 में वकिसति हुई जब यह स्वीकार कयिा गया कि आरक्षण कोई अपवाद नहीं है बल्कि सिमानता का एक घटक है । परपिरेकष्य में इस बदलाव के बावजूद 50% की सीमा अपरविरतति रही ।
 - वर्ष 1990 में मंडल आयोग मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने 50% की सीमा की फरि से पुष्टि की और कहा कि यह एक बाध्यकारी नयिम है, न कि केवल वकि का मामला है । हालाँकि यह अपवाद के बनिा कोई नयिम नहीं है ।
 - राज्य हाशयि पर और सामाजकि मुखयधारा से बाहर कयि गए समुदायों को आरक्षण प्रदान करने के लयि शिषिट परसिथतियिँ में सीमा को पार कर सकते हैं, वशिष रूप से भौगोलकि सथतिके बावजूद ।
 - इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय की 103वें संवैधानकि संशोधन की हालयिा पुष्टि आर्थकि रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लयि अतरिकित 10% आरक्षण को मान्य करती है ।

- इसका मतलब है कि **50% की सीमा केवल गैर-EWS आरक्षण पर लागू** होती है और राज्यों को EWS आरक्षण सहित कुल 60% सीटें/पद आरक्षण करने की अनुमति है।

■ अन्य राज्य सीमा पार कर रहे हैं:

- अन्य राज्य जो EWS कोटा को छोड़कर भी पहले ही 50% की सीमा को पार कर चुके हैं, वे हैं **छत्तीसगढ़ (72%), तमिलनाडु (69%)**, वर्ष 1994 के अधिनियम के तहत संवधान की नौवीं अनुसूची के तहत संरक्षित) और कई उत्तर-पूर्वी राज्य जसिमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मज़ोरम और नगालैंड (80% प्रत्येक) शामिल हैं।
- लक्षद्वीप में **अनुसूचित जनजातियों के लिये 100% आरक्षण** है।
- **महाराष्ट्र और राजस्थान** के पछिले प्रयासों को न्यायालयों ने खारज़ि कर दिया है।

संवधान और आरक्षण

- **77वाँ संवधान संशोधन अधिनियम, 1995:** इंदरा साहनी मामले में कहा गया था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में होगा, पदोन्नतियों में नहीं।
- हालाँकि संवधान में अनुच्छेद 16(4A) को जोड़ने से राज्य को SC/ST कर्मचारियों के लिये पदोन्नतियों के मामलों में आरक्षण के प्रावधान करने का अधिकार मिला गया, अगर राज्य को लगता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **81वाँ संवधान संशोधन अधिनियम, 2000:** इसमें अनुच्छेद 16(4B) पेश किया गया, जिसके अनुसार किसी विशेष वर्ष का रिक्त SC/ST कोटा, जब अगले वर्ष के लिये आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसे अलग से माना जाएगा एवं उस वर्ष की नियमित रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
- **85वाँ संवधान संशोधन अधिनियम, 2001:** इसमें पदोन्नतियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जैसे जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिये 'पारिणामिक वरिष्ठता' के साथ लागू किया जा सकता है।
- **संवधान में 103वाँ संशोधन (2019): EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये 10% आरक्षण।**
- **अनुच्छेद 335:** इसके अनुसार संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियाँ करने में प्रशासनिक प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के सदस्यों की मांगों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिये।

आगे की राह

- न्यायालयों को वकिसति सामाजिक गतिशीलता, समानता सिद्धांतों तथा बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर विचार करते हुए **50% आरक्षण सीमा का पुनर्मूल्यांकन** करना चाहिये।
- भौगोलिक सीमाओं के बावजूद, ऐतिहासिक क्षतिकारि सामना करने वाले समुदायों के लिये व्यापक मानदंडों को शामिल करने के लिये सामाजिक बहिष्कार से परे अपवादों का विस्तार करने पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।
- **मौजूदा आरक्षण नीतियों की वसितृत समीक्षा** करना, उनकी प्रभावशीलता, प्रभाव एवं वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संरेखण करना।